3.8.16 प्रतिवादी गण को
सम्मन तलबाना पेश
तलबी करावे हेतु पाबन्द किया गया।
आयदा दि 31.8.16 को पेश हो

31/8/16 पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 22.9.16 को प्रस्तुत हो।

29-8-16 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप
वकील वादी को प्रतिवादी गण की तलबी
हेतु सम्मन तलबाना पेश करने हेतु
पूर्व में पाबन्द किया गया। परन्तु तामिल
पेशी पर सम्मन तलबाना पेश नहीं किया
गया। पुनः पाबन्द किया जाय पत्रावली
दि 20-10-16 को पेश हो

20-10-16 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप।
पूर्व आदेशानुसार दि 22-11-16 को
पेश हो

22-11-16 पत्रावली पेश हुई वकील उभय पक्ष उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी कारण की नजर से कालकाल नहीं है। इस सम्बन्ध में विधि की स्थिति यह है कि इकरार नामा के आधार पर जो वाद खारिज घोषित करवाने हेतु पेश किया गया है वह विधि के दाय वर्जित है क्योंकि इकरार नामा की पालना हेतु खारिजदारी

Scanned by CamScanner

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

अधिकारो की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की विनिर्दिष्ट पालना के लिए वाद सिविल न्यायालय मे पेश किया जा सकता है। व सिविल न्यायालय डाग डिक्री जारी की जा सकती है। इस सम्बन्ध मे माननीय राजस्थान मण्डल अजमेर के आर-आर टी 2013 (1) के पेज नं० 22 गोकुल चन्द बनाम रामसहाय मे यह मत प्रति पादित किया गया है "इकरार नामा" धारी व्यक्ति धारा 188 के अन्तर्गत अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है व्यथित व्यक्ति धारा 188 के अन्तर्गत अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। व्यथित व्यक्ति इकरार नामा के विनिर्दिष्ट पालना के लिए सिविल वाद पेश कर सकता है" इस प्रकार इस न्यायालय मे इकरार नामा के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा एवं स्वत्वदारी अधिकारो की घोषणा हेतु वाद इस न्यायालय के स्वाधिकार से बाह्य है एवं विधि द्वारा वर्जित है। पत्रावली कोर्ट शुल्क से कम होकर बाद तरतीब लगाकर दाखिले दफ्तर हो

Scanned by CamScanner